



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



Office Order No. 59 of 2023

Sub: Technical and Administrative Control of Marathwada Rail Coach Factory (MRCF), Latur-reg.

In Supersession of Office Order No. 49 of 2023, it has been decided that the administrative control of MRCF/Latur would be under General Manager/Central Railway. Technical control related to successful execution of contract for manufacturing shall remain with ICF/Chennai.

- Central Railway shall provide necessary support in the form of manning MRCF with a skeleton set of officer (SS/JAG) from the Personnel, Finance, Mechanical and Electrical departments by using its own cadre strength.
- 2.1 As regards, Supervisory and Group 'C' staff, an option may be called from all the departments from all units of Indian Railways by Central Railway.
- The above issues with the approval of competent authority.

No. 2023/O&M/3/3 Dated:- 18.09.2023 (T. Srinivas)

Joint Secretary/ Railway Board Tele No.: 011-47845551

Email ID: t.srinivas1@gov.in

CRB & CEO, MF, M/Infra, M/O&BD, M/TRS DG/HR, DG/RPF, DG/RHS, DG/Safety All AMs/ADGs/PEDs

Copy to:

General Managers/All Indian Railways/PUs DG/RDSO, DG/NAIR

Copy for information:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MoSR(J)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2023 का कार्यालय आदेश सं. 59

विषय: मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, लातूर का तकनीकी और प्रशासनिक नियंत्रण।

2023 के कार्यालय आदेश सं. 49 का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री का प्रशासनिक नियंत्रण महाप्रबंधक/मध्य रेलवे के अधीन होगा। विनिर्माण हेतु संविदा के सफल निष्पादन से संबंधित तकनीकी नियंत्रण सवारी डिब्बा कारखाना/चैन्ने के पास बना रहेगा।

- 2. मध्य रेलवे अपने स्वयं के संवर्ग का उपयोग करके कार्मिक, वित्त, यांत्रिक और विद्युत विभागों के अधिकारियों (विरष्ठ प्रशासी ग्रेड/किनष्ठ प्रशासी ग्रेड) की न्यूनतम संख्या के साथ मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में तैनाती के रूप में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी।
- 2.1 पर्यवेक्षी और समूह 'घ' कर्मचारियों के संबंध में, मध्य रेलवे द्वारा भारतीय रेल की सभी इकाइयों से सभी विभागों से एक विकल्प आमंत्रित किया जाए।
- 3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

सं. 2023/ओएंडएम/3/3

दिनांक: 18.09.2023

(टी. श्रीनिवास) संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड टेलीफोन न-011 -47845551

ई-मेल आईडी :t.srinivas1@gov.in

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ रेलवे बोर्ड, सदस्य/वित्त, सदस्य/ अवसंरचना, सदस्य/ परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक

महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा, महानिदेशक/संरक्षा

सभी अपर सदस्य/अपर महानिदेशक/प्रधान कार्यपालक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित:

महाप्रबंधक/सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक/अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी

प्रतिलिपि सूचनार्थः

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (जे)